बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग, पटना।

पत्रांक : यो०मो०–03–कार्य–10–25 / 2021–पार्ट–I– 1512

प्रेषक,

ई० ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।

सेवा में,

सचिव,
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक : 22/06/26

विषय : केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनांतर्गत "Development of Inland Fisheries and Aquaculture Integrated Development of Reservoirs" अवयव के तहत ओढ़नी जलाशय के एकीकृत विकास हेतु आधारभूत संरचना तथा Fish Landing-cum-Sale Centre Shed, Fish Seed Hatchery, Ice Plant, Feed Mill, इत्यादि के निर्माण हेतु सिंचाई प्रमंडल, बांका अंतर्गत ओढ़नी जलाशय पहुँचपथ के उत्तरी भाग में निर्मित Parking Area से पूरब की ओर चाटलैंड में उपलब्ध 8.26 एकड़ में से 5.00 एकड़ भूमि के उपयोग के संबंध में।

प्रसंग : जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बांका का पत्रांक 1410 दिनांक 12.08.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर द्वारा समर्पित प्रस्ताव एवं की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न शर्तों के साथ केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनांतर्गत "Development of Inland Fisheries and Aquaculture Integrated Development of Reservoirs" अवयव के तहत ओढ़नी जलाशय के एकीकृत विकास हेतु आधारभूत संरचना तथा Fish Landing-cum-Sale Centre Shed, Fish Seed Hatchery, Ice Plant, Feed Mill, इत्यादि के निर्माण हेतु सिंचाई प्रमंडल, बांका अंतर्गत ओढ़नी जलाशय पहुँचपथ के उत्तरी भाग में निर्मित Parking Area से पूरब की ओर चाटलैंड में उपलब्ध 8.26 एकड़ में से 5.00 एकड़ भूमि के उपयोग हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है :–

1. वर्णित चाटलैंड पर प्रस्तावित निर्माण के क्रम में यदि विभागीय भूमि के अलावे निजी भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता हो, तो उक्त अधिग्रहण डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग द्वारा अपने व्यय पर किया जायेगा।
2. निर्माण कार्य (स्थायी / अस्थायी) के कारण आस–पास निर्मित किसी भी संरचना से कोई छेड़छाड़ / क्षतिग्रस्त नहीं किया जायेगा।
3. प्रस्तावित स्थल पर विभागीय स्वामित्व बना रहेगा। यदि जल संसाधन विभाग को किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि की आवश्यकता होगी तो उक्त स्थल को वापस लेने का अधिकार विभाग को होगा।
4. प्रस्तावित निर्माण कार्य के दौरान जल संसाधन विभाग की किसी भी परिसम्पत्ति की क्षति होने पर जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के निदेशानुसार कार्यकारी विभाग अपने खर्च पर आवश्यक कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।

5. प्रस्तावित निर्माण कार्य संबंधी रूपांकण एवं आलेख्य कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बांका को समर्पित करना होगा एवं उनकी सहमति के उपरांत ही निर्माण कार्य किया जायेगा।
6. प्रस्तावित निर्माण कार्य के दौरान संभावित दुर्घटना से बचाव हेतु आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक कार्य कराने की जिम्मेवारी कार्यकारी विभाग की होगी। निर्माण कार्य के दौरान कोई आकस्मिक दुर्घटना घटित होने की परिस्थिति में इसकी पूर्ण जिम्मेवारी कार्यकारी विभाग की होगी।
7. प्रस्तावित निर्माण के उपरांत विभागीय भूमि पर से अवशिष्ट पदार्थ (Waste Material) को हटाने की जिम्मेवारी कार्यकारी विभाग की होगी।
8. प्रस्तावित निर्माण कार्य के दौरान जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा कार्यहित में दिया गया निदेश मानना होगा।
9. प्रस्तावित कार्य के दौरान वैसे अनदेखे कार्य (Unseen Work), जो जल संसाधन विभाग के कार्यहित में हो, उसे कार्यकारी विभाग को कराना होगा।
10. प्रस्तावित निर्माण कार्य की विशिष्टि एवं गुणवत्ता की जवाबदेही कार्यकारी विभाग की होगी।
11. भविष्य में प्रस्तावित निर्माण कार्य का मरम्मति या विस्तारीकरण एवं अन्य कार्य जल संसाधन विभाग की सहमति से किया जा सकेगा।
12. प्रस्तावित निर्माण कार्य से जल प्रवाह / Waterway प्रभावित या अतिक्रमित नहीं होना चाहिये।
13. प्रस्तावित निर्माण कार्य के दरम्यान नहर तल / चाटलैंड से मिट्टी नहीं काटी जाय।
14. उक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

19/6/26

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक : यो०मो०–03–कार्य–10–25 / 2021–पार्ट–I–1512 पटना, दिनांक : 22/06/26
प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर / अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, भागलपुर / कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/6/26

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक : यो०मो०–03–कार्य–10–25 / 2021–पार्ट–I–1512 पटना, दिनांक : 22/06/26
प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, आई०टी० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/6/26

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय